शर्तें

1. सशर्त निविदा अमान्य होती।
2. प्रत्येक निविदा के साथ 100रू0 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर जिस पर निविदादाता द्वारा रसीदी टिकट चिपकाया गया हो संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदादाता फर्म/संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ फर्म/संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, जी०एस०टी०रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की जानी होगी।
5. निविदादाता फर्म/संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ वार्षिक टर्न ओवर 10.00 लाख तक होना चाहिए सम्बन्धी सी०ए० द्वारा प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।
6. निविदा फर्म/संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ कम से कम 02 नगर निकायों में जी०आई०एस० बेस सर्वे कार्य किया हो सम्बन्धी अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।
7. निविदादाता फर्म/संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ फर्म/संस्था भारत में न्यूनतम तीन वर्षों से लगातार कार्य कर रही है, सम्बन्धी अभिलेख की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।
8. निविदादाता फर्म/संस्था को शासन द्वारा दी गयी गाईड लाईन/प्रारूप के आधार पर जी०आई०एस० मेपिंग सर्वे व निर्धारित अन्य कार्य कार्यादेश प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर पूर्ण कर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
9. निविदादाता फर्म/संस्था द्वारा समस्त कार्य किए जानें हेतु दरों एवं अन्य करों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा।
10. किसी भी निविदादाता फर्म/संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में कटिंग/इरेजिंग का प्रयोग करने पर निविदा आमान्य होगी।
11. किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद,रामनगर में निहित होगा।
12. सफल निविदादाता/निविदादाता फर्म द्वारा संविदा के मूल्य की 10% Performance Security धनराशि, जो कि रा0ब0पत्र/एफ0डी0आर0 अथवा डाकघर सावधि जमा खाता के रूप में हो अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, रामनगर के नाम से बन्धक कर जमा करनी आवश्यक होगी।
13. सफल निविदादाता/निविदादाता फर्म द्वारा प्रस्तुत 10% Performance Security धनराशि प्रशनगत कार्य के पूर्ण होने की अवधि समाप्त होने के 30 दिवस के भीतर वापस की जायेगी।
14. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिती में मा0 पालिकाध्यक्ष महोदय का निर्णय अन्तिम तथा उभयपक्षों को मान्य होगा।
15. किसी प्रकार के न्यायिक विवाद की स्थिती में न्यायिक क्षेत्र, रामनगर जनपद नैनीताल रहेगा।

सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)